यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोट, पौडी गढवाल** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोट, पौडी गढवाल** के माह 04/2012 से माह 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री विनीत निगम, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 08.02.2019 से 13.02.2019 तक श्री राज बहादुर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की लेखापरीक्षा आहरण एवं संवितरण अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम बार सम्पादित की जा रही है तथा लेखापरीक्षा में माह 04/2012 से 01/2019 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा चिकित्सालय में आये विकास खण्ड के ग्रामीण एवं शहरी रोगियों को प्राथमिक एवं द्वितीयक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान करना।

3. (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2012-13	0.00	0.00	183.34	167.32	16.02	3.33	2.26	1.07
2013-14	0.00	0.00	244.43	217.63	26.80	6.42	6.09	0.33
2014-15	0.00	0.00	254.33	222.79	31.54	4.15	3.75	0.40
2015-16	0.00	0.00	287.06	244.34	42.72	21.61	2.96	18.65
2016-17	0.00	0.00	366.65	260.28	106.37	9.25	6.98	2.27
2017-18	0.00	0.00	315.40	306.59	8.81	7.95	7.71	0.24
2018-19 (Up to 01/19)	0.00	0.00	376.93	315.42		10.71	7.70	

नोट– स्थापना मद की वर्ष के अन्त में अवशेष धनराशि शासन को समर्पित की गयी।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

Year	Name of Schemes	OB	Receipt	Total	Expenditure	CB
2012-13	NHM	5.85	37.77	43.62	37.87	5.75
2013-14		5.75	27.52	33.27	24.62	8.65
2014-15		8.65	28.98	37.63	29.20	8.43
2015-16		8.43	37.56	45.99	35.38	10.61
2016-17		10.61	62.99	73.60	67.65	5.95
2017-18		5.95	50.81	56.76	49.65	7.11
2018-19 (up to 01/2019)		7.11	24.82	31.93	23.54	8.39

इकाई को बजट आबंटन **महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, देहरादून** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**स**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ⟶ मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी ⟶ प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोट, पौडी गढवाल।

लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः– लेखापरीक्षा में **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोट, पौडी गढवाल** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोट, पौडी गढवाल** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **02/2016, 03/2017, 03/2018 एवं 11/2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा प्रबन्धन समिति से किये सभी व्यय, एवं स्थापना मद आदि का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः 1 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत अनटाईड फण्ड मद में धनराशि रु0 11.92 लाख का व्यय किया जाना सुनिश्चित किये बिना ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तीय प्रबन्धन दिशानिर्देश के बिन्दु 7.2.4 के अनुसार व्यय विवरण Books of Accounts के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए। चिकित्सालयों द्वारा व्यय विवरण चिकित्साधिकारी अथवा आहरण एवं वितरण अधिकारी एवं वित्तीय प्रभारी द्वारा प्रदान किया जाएगा। व्यय विवरण में अग्रिम में प्रदान की गयी धनराशि को व्यय के रुप में नहीं दर्शायी जाएगी, व्यय विवरण में केवल वास्तविक रुप से किये गये व्यय को ही व्यय दर्शाया जाएगा।

कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोट चिकित्सालय से सम्बद्ध उपकेन्द्रों एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को वर्ष 2012–13 से 2018–19 के दौरान प्रदान की गयी अनटाईड फण्ड एवं प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि उपरोक्त अवधि में विकास खण्ड के अन्तर्गत कार्यरत 14 उपकेन्द्रों, 01 अतिरिक्त प्रा.स्वा.केन्द्र एवं प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, कोट को अनटाईड निधि के रुप में धनराशि रु0 24.59 लाख अवमुक्त किया गया था। इस अवमुक्त धनराशि के व्यय से सम्बन्धित लेजर एवं अन्य सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि उपरोक्त अवधि में प्रा.स्वा.के. कोट को आवंटित धनराशि रु0 6.87 लाख के सापेक्ष रु0 6.94 लाख का व्यय किया गया है अर्थात रु0 0.06 लाख का आवंटन से अधिक व्यय किया गया है। इसी प्रकार अतिरिक्त प्रा.स्वा.के. बेतालधार को आवंटित धनराशि रु0 5.86 लाख के सापेक्ष रु0 5.73 लाख का व्यय किया गया है अर्थात रु0 0.13 लाख कम व्यय किया गया है। विकास खण्ड के 14 उपकेन्द्रों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष किसी भी उपकेन्द्र द्वारा कार्यालय को व्यय विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया था। कार्यालय द्वारा उपकेन्द्रों एवं अन्य चिकित्सालयों को आवंटित धनराशि को व्यय मानते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण सम्मिलित रुप से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशानिर्देशों का उलंघन करते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा को प्रस्तुत 02 उपकेन्द्रों जामलाखाल एवं खोलाचौरी के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि दोनों उपकेन्द्रों के बैंक खाते में वर्तमान में क्रमशः धनराशि रु0 31175 एवं रु0 20604 अवशेष के रुप में अवरुद्ध थे। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न उपकेन्द्रों द्वारा अनटाईड फण्ड के अन्तर्गत अधिक मात्रा में धनराशि को व्यय किये बिना ही सम्पूर्ण धनराशि को व्यय मानते हुए मिथ्या रुप से मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण प्रेषित कर दिया गया तथा तद्नुसार उक्त धनराशि को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बैलेन्स सीट में सम्मिलित कर लिया जाता है। इस प्रकार से कार्यालय द्वारा अनटाईड फण्ड मद में उपरोक्त अवधि में आवंटित धनराशि रु0 24.59 लाख के सापेक्ष

केवल धनराशि रु0 12.67 लाख का व्यय ही सुनिश्चित किया गया तथा शेष धनराशि रु0 11.92 लाख का व्यय किया जाना सुनिश्चित किये बिना ही उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने आपत्ति को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि भविष्य में उपकेन्द्रों को आवंटित धनराशि का व्यय सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त ही उपयोगिता प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन में किसी मद में व्यय किया जाना सुनिश्चित किये बिना उक्त धनराशि को उपयोगिता प्रमाण पत्र में शामिल नहीं किया जाना चाहिए था।

अतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत अनटाईड फण्ड मद में धनराशि रु0 11.92 लाख का व्यय किया जाना सुनिश्चित किये बिना ही उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर:2- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्यों की पूर्ति न हो पाना।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) की निर्देशिका के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी मलिन बस्तियों मे रहने वाले 0-6 वर्ष के बच्चों के अलावा 18 वर्ष की उम्र तक के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों मे पढ़ने वाले 1 से 12 वीं तक के बच्चों को आच्छादित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 09 जन्मजात कमियों, बचपन की बीमारियों एवं न्यूनताओं की जांच, पहचान एवं इलाज करना है। दिशानिर्देशों के अनुसार आरबीएसके की मोबाइल स्वास्थ्य टीम आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों का वर्ष में दो बार जांच (Screening) की जाएगी जबकि स्कूली बच्चों की वर्ष में एक बार जांच की जाएगी।

जनपद पौड़ी के कोट विकास खंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि विगत तीन वर्षों में कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड कोट में विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी के बच्चों की जांच में लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है।

वर्ष	**स्कूल**			**आंगनवाड़ी**			**वर्ष के दौरान आरबीएसके पर व्यय (₹ लाख में)**
	स्कूली बच्चों का लक्ष्य	**जांच किये गए बच्चों की संख्या**	**कमी (% में)**	**आंगनवाड़ी बच्चो का लक्ष्य**	**जांच किए गए बच्चों की संख्या**	**कमी (% में)**	
2015-16	4053	3644	409 (10%)	2358	1150	1208 (51%)	14.04
2016-17	3820	3461	359 (9%)	2117	1383	734 (35%)	12.82
2017-18	3501	3252	249 (7%)	1900	1242	658 (35%)	9.64
कुल योग	11374	10357	1017 (9%)	6375	3775	2600 (41%)	36.50

आगे जांच में यह भी पाया गया कि विगत तीन वर्षो में निम्नानुसार स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के 1196 बच्चे स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए Refer किए गए किन्तु उसमे से केवल 474 (40%) बच्चे ही स्वास्थ्य केन्द्रों में सेवाएँ प्राप्त कर सके। वर्ष 2017-18 में Refer किए गए बच्चों में से केवल 25% बच्चे हे सेवाए प्राप्त कर सके।

वर्ष	स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी/सीएचसी/ जिला चिकित्सालय) को Refer किए गए बच्चो की संख्या			पीएचसी/सीएचसी/ जिला चिकित्सालय में सेवाएँ प्राप्त करने वाले बच्चो की संख्या		
	स्कूल	आंगनवाड़ी	कुल योग	स्कूल	आंगनवाड़ी	कुल योग
2015-16	493	41	534	164	07	171 (32%)
2016-17	315	25	340	201	20	221 (65%)
2017-18	299	23	322	76	06	82 (25%)
कुल योग	1107	89	1196	441	33	474 (40%)

इस प्रकार तीन वर्षो में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पर ₹36.50 लाख व्यय किए जाने के बावजूद लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है, जबकि बीमारी से ग्रस्त 60 % बच्चे इलाज से वंचित रहे।

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर दिया कि मेडिकल टीमों द्वारा भ्रमण के दौरान बच्चों की अनुपस्थिति के कारण लक्ष्य पूर्ण नहीं किए जा सके हैं साथ ही विकास खंड की विषम भौगौलिक परिस्थितियों एवं गरीबी के कारण बीमार बच्चे उच्च स्वास्थ्य केन्द्रों तक नहीं जा पाते हैं।

इकाई का उत्तर संप्रेक्षा की आपति की पुष्टि करता है, प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 1:– चिकित्सालय में दन्त चिकित्सा की तैनाती के बावजूद इकाई को प्राप्त डेन्टल चेयर की स्थापना नही किये जाने के फलस्वरूप मरीजो को चिकित्सा सुविधा से वंचित रखना।

कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोट के डेड स्टाक पंजिका की जॉच में पाया गया कि कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी के माध्यम से चिकित्सालय को माह 05/2018 में एक डेन्टल चेयर उपलब्ध करायी गयी थी परन्तु जाचॅ में पाया गया कि डेन्टल चेयर वर्तमान तक स्थापित नही की गयी थी। डेन्टल चेयर प्राप्ति के 08 माह के बाद भी (सम्प्रेक्षा अवधि 01/2019 तक) उपयोग में नही लायी जा रही थी। जबकि वर्तमान में चिकित्सालय में दन्त चकित्सक तैनात थे। चेयर की स्थापना न करने के कारण दन्त चिकित्सा से सम्बन्धित मरीज चिकित्सा सुविधा का लाभ पाने से वंचित थे। यदि डेन्टल चेयर की स्थापना की गयी होती तों प्रतिदन ग्रामीण मरीजों द्वारा चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सकता था। स्थापना न करने के फलस्वरूाप डेन्टल चेयर के निरन्तर हास् होने से भी इन्कार नही किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा के दौरान इस ओर इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि डेन्टल चेयर के स्थापना के लिये मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को पत्र प्रेषित किया गया है परन्तु वर्तमान तक स्थापना नही की गई है। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्याकि **समयान्तर्गत** डेन्टलय चेयर की स्थापना न करने के फलस्वरूप मरीज लाभ पाने सें वंचित हो रहे है।

अतः दन्त चकित्सक की तैनाती के बावजूद इकाई को प्राप्त डेन्टल चेयर की स्थापना नही किया जाना के फलस्वरूप मरीजो को चिकित्सा सुविधा से वंचित रखने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर:2- वीएचएसएनसी के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को अवमुक्त की गई ₹ 31.74 लाख की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया जाना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की Operational Guideline for Financial Management का प्रस्तर 5.5.2 में निर्देशित किया गया है कि Village Health, Sanitation and Nutrition Committees (VHSNCs) को अवमुक्त की गई धनराशि को जब तक वास्तविक रूप से व्यय के पश्चात प्रत्येक ब्लॉक से उपयोगिता प्रमाण पत्र (आवश्यक सहयोगी अभिलेखों के साथ) न प्राप्त कर लिया जाये तब तक उसे व्यय के रूप में अंकित नहीं किया जाएगा।

प्राथमिक स्वस्थ्य केंद्र कोट के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि विगत दो वर्षों में विकास खंड कोट के अंतर्गत निम्नानुसार ₹ 36.74 लाख की राशि वीएचएसएनसी के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को प्रदान की गई है जिसमे से मात्र ₹5.00 लाख (14%) का उपयोगिता प्रमाण पत्र ही प्राप्त हुआ है

(₹ लाख में)

वर्ष	वीएचएसएनसी के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को अवमुक्त राशि	राशि जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ	राशि जिसकी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ
2016-17	21.80	5.00	16.80
2017-18	14.94	0	14.94
कुल योग	36.74	5.00	31.74 (86%)

इस संबंध में संप्रेक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने आपत्ति की पुष्टि करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्राप्त किए जाने हेतु प्रयास करने को कहा। प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 03:– निष्प्रोज्य पड़ी सामग्री का निस्तारण विगत 06 वर्षो से न होने से राजस्व की हानि ।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 06 के प्रस्तर 189 एवं 190 के प्रावधानों के अनुसार जैसे ही यह तथ्य प्रकाश में आये कि स्टोर की कोई सामग्री निष्प्रयोज्य हो गयी है तो तत्काल फार्म 18 के प्रारुप में एक रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को दी जाएगी। इसके पश्चात निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लोक नीलामी द्वारा बिक्री कर सामग्री का समायोजन किया जाएगा तथा नीलामी से प्राप्त धनराशि को चालान के माध्यम से राजकोष में जमा किया जाएगा।

कार्यालय प्रभारी चिकित्साअधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोट जनपद पौड़ी के स्टाक अभिलेखों एवं उपलब्ध करायी गयी निष्प्रयोज्य सामग्रियों की सूची की जाचॅ में पाया गया कि चिकित्सालय में विगत 01 से लेकर 6 वर्षो तक से 32 प्रकार से 111 चिकित्सा उपकरण एवं फर्नीचर निष्प्रोज्य पड़ी हुई है (सूॅची सलग्नक)। जबकि नियमानुसार निष्प्रयोज्य साम्रगी के निस्तारण समय–समय पर किया जाना चाहिऐ था। ऐसा न करने से सामग्री के मूल्य में निरन्तर हास् से इनकार नही किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि सन्दर्भित निष्प्रयोज्य सामग्री के निस्तारण के लिये शीघ्र ही समिति का गठन कर निस्तारण सम्बन्धित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा प्राप्त धनराशि को चालान के माध्यम से राजस्व प्राप्ति मद में जमा की जायेगी। उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही है क्याकि सामग्री विगत 06 वर्षो से निष्प्रोज्य पड़ी हुई है जिसका निरन्तर ह्रास हो रहा है। जबकि नियमानुसार यदि सामग्री का समया नुसार निस्तारण होता जाता तो अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति होती।

अतः **विगत 06 वर्षो से निष्प्रोज्य पड़ी सामग्री का निस्तारण न होने से राजस्व की हानि होने** का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

चिकित्सालय में निष्प्रोज्य पड़ी सामग्री की सूची

क्रम सख्या	सामग्री का नाम	मात्रा	निष्प्रोज्य का वर्ष
01	Almira wooden	03	2012–13
02	Hospital Bed Iron	06	2012–13
03	Bucket iron	02	2012–13
04	Chair Wooden	03	2012–13
05	Wooden Rack	02	2012–13
06	Alumenion Jug	07	2012–13
.07	Mug	2	2012–13
08	Anima Cain	02	2012–13
09	Urin Pot	02	2012–13
10	Revoving Stool	02	2012–13
11	Drip Stand	02	2012–13
12	Instrument tray	04	2012–13
13	Kidney tray	02	2012–13
14	Urinal female	06	2012–13
15	Disectng Forcep	01	2012–13
16	Baby Candle	02	2012–13
17	Muldeep Chair	01	2012–13
18	Armless four	04	2012–13
19	Stelno Scope	03	2012–13
20	Hot Water Bottle	10	2012–13
21	Kelleys Pad	01	2012–13
22	Digital Thermeter	02	2012–13
23	Stove Sigal Burner	01	2012–13
24	Force Disecting	06	2012–13
25	Artery Forcep	09	2012–13
26	Scissor	02	2012–13
27	Spong Holding	02	2012–13
28	B P Handle	05	2012–13
29	Middle Holder	09	2012–13
30	Bed Side Screen	02	2012–13
31	Table Wooden	04	2012–13
32	Steel Almira	02	2012–13
	Total	**111**	

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
	इकाई की प्रथम बार लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी।			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		इकाई की प्रथम बार लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी।		

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोट, पौडी गढवाल** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1	डा0 अशोक कुमार	प्रभारी चिकित्साधिकारी	25.09.2012 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोट, पौडी गढवाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र